

122

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

11

पत्रांक : GB/प्र0अ0-नवन/जेन-05/2009-10 दिनांक 02/08/2013


विनियमितीकरण

यह विनियमितीकरण निर्माण की अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर शो-रूम का विनियमितीकरण किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के भाविज्जाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के निहितकृत या स्वाभिव्यक्ति के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री राजेन्द्र गोगयनका डायरेक्टर, मेसर्स गोगयनका गोदार्स प्रा0लि0 द्वारा आराजी संख्या-604 अन्दावा, परगना-सूसी इलाहाबाद के जेन संख्या (5) के अन्तर्गत राखिल शो-रूम का विनियमितीकरण मानचित्र उपाध्यक्ष महोदय के स्वीकृति/निर्माण आदेश दिनांक 29.08.2013 के अनुपालन में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित/अनुमत्य किया जा रहा है :-




1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुक्रम भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनुत्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C को शीघ्र पूर्ण करने के पश्चात्, निम्नलिखित किछे करने वाले 'पूर्णता प्रमाण पत्र' प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं तत्समय समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 25 अंश वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हर-हरा रखने का दायित्व आपेक्षक होगा।
5. रेनवाटर ड्रायवैस्टिंग प्रणाली मानकों के अनुसार विकसित होने के सम्बन्ध में भू-गर्भ जल बोर्ड चण्ड-वाटिक डिपार्टमेंट विभाग का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6. मुख्य अग्नि शक्ति अधिकारी इलाहाबाद की अनुमति पत्र संख्या-एफपी/सीएफओ/आई-1; (1)/2010 दि0 11 नवम्बर, 2010 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
7. क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इलाहाबाद की अनुमति पत्र संख्या- 300457/एनओसी/N-52/2011-12 दि0 24.08.2011 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होगा। (छायाप्रति संलग्न)
8. मुख्य अभियन्ता-लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद क्षेत्र, इलाहाबाद की अनुमति स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के 03 माह के अन्दर प्राप्त करना होगा तथा अंकित समस्त प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
9. माननीय न्यायालय में कोई चार्ज होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
10. विभिन्न समय पर जारी शलनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्रतिक्रिया यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
1. यदि आदेशक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना जिम्मा गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने दाय्य होगा।

Continued
 02/08/2013
 02/08/2013



यह योजना (सिटी/रजिस्ट्रार) पूर्णतया सही रूप में तैयार की गई है। इसमें कोई भी त्रुटि या त्रुटि नहीं है।
 १२/०५/१९
 सहायक जमीनदार
 जमीनदार


१२/०५/१९
 सहायक जमीनदार
 जमीनदार



NO.	DESCRIPTION	AREA (SQ. M)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PLOT AREA	
LAND DESCRIPTION	AREA (SQ. M)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

THIS PLAN IS VALID FOR THE PURPOSE OF THE SURVEY OF INDIA, VARANASI.
 FOR THE SURVEY OF INDIA, VARANASI.
 12/05/19



DRG NO-1

यह दस्तावेज़/निर्माण कार्य के पूर्ण अंश पर लागू है।
 इसके अंशों में से किसी एक अंश को अलग-अलग
 उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता।

श्री. अ. अ. अ.
 आर्किटेक्ट
 10, गुरु नानक देव
 रोड, दिल्ली-110002

श्री. अ. अ. अ.
 आर्किटेक्ट

श्री. अ. अ. अ.
 आर्किटेक्ट



NO.	KEY	SIZE	CELL	LAYER
WALLS				
1	W	2400x100	100	200
2	W	2400x100	100	200
3	W	2400x100	100	200
4	W	2400x100	100	200
5	W	2400x100	100	200
6	W	2400x100	100	200
7	W	2400x100	100	200
8	W	2400x100	100	200
9	W	2400x100	100	200
10	W	2400x100	100	200
11	W	2400x100	100	200
12	W	2400x100	100	200
13	W	2400x100	100	200
14	W	2400x100	100	200
15	W	2400x100	100	200
16	W	2400x100	100	200
17	W	2400x100	100	200
18	W	2400x100	100	200
19	W	2400x100	100	200
20	W	2400x100	100	200
21	W	2400x100	100	200
22	W	2400x100	100	200
23	W	2400x100	100	200
24	W	2400x100	100	200
25	W	2400x100	100	200
26	W	2400x100	100	200
27	W	2400x100	100	200
28	W	2400x100	100	200
29	W	2400x100	100	200
30	W	2400x100	100	200
DOORS				
31	D	1000x2100	-	210
32	D	1000x2100	-	210
33	D	1000x2100	-	210
34	D	1000x2100	-	210
35	D	1000x2100	-	210
ROOF				
36	R	2400x100	100	200
37	R	2400x100	100	200
38	R	2400x100	100	200
39	R	2400x100	100	200
40	R	2400x100	100	200
41	R	2400x100	100	200
42	R	2400x100	100	200
43	R	2400x100	100	200
44	R	2400x100	100	200
45	R	2400x100	100	200
46	R	2400x100	100	200
47	R	2400x100	100	200

GROUND FLOOR PLAN SCALE: 1:100 OVER

COMPOUNDING PLAN OF PLOT
 NO-604, VILL-ANDHARA, TAHSIL
 PHOOLPUR, DISTT-ALLAHABAD
 FOR M/S GOENKA MOTORS PVT LTD
 (RAJENDRA TOYOTA)

DATE: 10/10/2023
 BY: A. A. A.
 ARCHITECT

